

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना
निविदा आमंत्रण सूचना

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के परिसरों की साफ-सफाई एवं बागवानी हेतु निम्ननाकित शाखाओं में कर्मियों की आवश्यकता है:-

क्र०	कार्य कराये जाने वाले शाखा का नाम	कर्मियों की आवश्यकता	अभियुक्ति
1	प्रशासनिक भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, (तीनो म्यूजियम, बिक्री केन्द्र, गेस्ट हाउस) इत्यादि	03	
2	पटना हाट	01	
3	छात्रावास	01	
4	तकनीकी शाखा	01	
5	माली (बागवानी हेतु)	02	
6	स्वीपर (संस्थान के सभी बाथरूम के साफ-सफाई हेतु)	02	
	कुल	10	

उक्त कार्यबल की आपूर्ति हेतु इम्पेट मैनेजर/फर्म से दिनांक 24.02.2020 को 3 बजे अप0 तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में निविदा प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन 4 बजे अप0 में सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/फर्मों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशक, संस्थान के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता PAN CARD, GST निबंधन प्रमाण-पत्र एवं ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1979 की धारा 12 (1) के अधीन निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। अंतिम दो वर्ष (2017-18, 2018-19) का आयकर रिटर्न एवं अंतिम क्वार्टर (दिसम्बर, 2020) का GST भुगतान प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा की अवधि एक वर्ष की रहेगी। किन्तु कार्य के असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
3. इस कार्य हेतु निविदा द्वि-लिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग अंकित करना होगा तथा फिर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में सील बंदकर जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
4. निविदा के साथ सुरक्षित राशि के रूप में 10,000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्रॉफ्ट देना होगा जो निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के नाम देय होगा। बैंक ड्रॉफ्ट तकनीकी निविदा के साथ देना होगा।
5. निविदादाता का विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष टर्न ओवर कम से कम एक करोड़ रु० होना अनिवार्य है। इस संबंध में सी0ए0 द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. सफल निविदादाता का दर श्रम संसाधन विभाग से निर्धारित दर से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता को किसी सरकारी प्रतिष्ठान में सफलापूर्वक कार्य करने का 2 साल का अनुभव प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8. वित्तीय निविदा में कार्यबल एवं साफ-सफाई हेतु विभिन्न करों सहित लागत व्यय का उल्लेख करना होगा।
9. निविदादाता/संस्था को सफाई हेतु किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी व विपत्र का भुगतान राशि/आवंटन की उपलब्धता के आधार पर ही होगी।
10. सरकार एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर की राशि का अनुपालन निर्धारित मजदूरी से संबंधित मानकों का पालन निविदादाता/संस्था की जिम्मेवारी व वैधानिक रूप से बाध्यकर होगी।
11. सफाई एवं बागवानी में उपयोग किये जाने वाले उपकरण, विभिन्न फूल का पौधा सामग्री चयनित निविदादाता/संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, संस्थान को सुरक्षित रहेगा।
13. अन्य किसी प्रकार की जानकारी किसी कार्य दिवस को उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। इसे संस्थान के वेबसाइट www.umsas.org.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
14. त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. किसी भी प्रकार के कर का भुगतान सफल निविदादाता को करना होगा।
16. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/संस्थान/निगम/बोर्ड/विभाग में साफ-सफाई एवं बागवानी कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र देना होगा।

B. Mishra
निदेशक 3/2/2020

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

Amir